न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 10/2017 अपील

उनवान

श्री देबीलाल पिता भोलू गुसाई, निवासी भूति तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा (राज0)	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया, जिला–भीलवाडा (राज0)
— अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 91 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बिजौलिया, बमामले प्र0सं0 29/2017 आदेश दिनांक 22.02.2017

उपस्थित :– श्री आर0सी0सारस्वत अधि0 अपीलार्थी की ओर से !
राजकीय अधि0 उपस्थित !

निर्णय

दिनांक : 21/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 91 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बिजौलिया, बमामले प्र0सं0 29/2017 आदेश दिनांक 22.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। वाके ग्राम भूति में स्थित आ0नं0 312 रकबा 7.11 बीघा, जो राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज है में 1.04 बीघा भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण बताते हुए बेदखली, खड़ी फसल को जब्त सरकार लिवाये जाने व वार्षिक लगान का 50 गुणा राशि वसूली का आदेश पारित किया । अपीलार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 293 व 313 उक्त अतिक्रमित भूमि के दोनों तरफ स्थित होकर इनके मध्य आराजी नम्बर 312 का 1.04 बीघा स्थित है। सन् 1975 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपीलार्थी की आराजी सं0 293 व 312 के मध्य से आम सड़क निकाली गई थी और आराजी नम्बर 312 जो गै0मु0 रास्ता बताया गया है उसका उपयोग उपभोग सन् 1975 के बाद से ही रास्ते के रूप में बन्द हो चुका था, चूंकि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से 1.04 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग में रास्ते के उपयोग उपभोग हेतु लेकर आराजी सं0 312 में स्थित 1.04 बीघा भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में छोड दिया था इस कारण मौके पर आ0नं0 312 सन् 1975 के बाद से रास्ते के उपयोग उपभोग में कभी नहीं रही, मात्र राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन चला आ रहा है। इस प्रकार यह माना जाना कि अपीलार्थी का कब्जा गै0मु0 रास्ते पर है, सर्वथा गलत होकरमौकेकी स्थिति से विपरीत होने से पारित निर्णय निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भूमिधारी है और जिस आराजी सं0 312 में रकबा 1.04 बीघा का उपयोग सन् 1975 से रास्ते के रूप में कभी नहीं लिया गया, इस कारण उक्त आराजी का किस्म परिवर्तन किया जाना विधि सम्मत था और भूमिधारी के नाते सभी जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट की थी किन्तु अपीलार्थी के जवाब धारा 80 जा0दी0 के नोटिस का विवरण देने के उपरास्त भी अपीलाधीन निर्णय बेदखली बाबत पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे व आ0नं0 312 के किस्म परिवर्तन की कार्यवाही किए जाने बाबत रेस्पोडेन्ट को निर्देशित फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.03.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाधीन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। अपील मेमों के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के प्रकरण संख्य 29/2017 निर्णय दिनांक 22.02.2017 की फोटो प्रमाणित प्रति संलग्न की है। अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया से रिकार्ड उपलब्ध होने पर दिनांक 19/07/2017 को वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई बहस में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील को स्वीकार करा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया को वादोक्त आराजी की किस्म परिवर्तन की कार्यवाही हेतु आदेशित फरमाया जावे। प्रत्यर्थी के द्वारा अपील के तथ्यों का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में विवाद का विषय यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा ग्राम भूति की आ0नं0 312 किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध नाजायज कब्जे की गलत कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2017 की प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उसकी खातेदारी आराजी नम्बर 293 व 313 के मध्य रास्ते वाली आराजी नम्बर 312 स्थित है जिसके 1.04 बीघा भूमि पर अतिक्रमण माना गया जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसकी खातेदारी भूमि में सड़क निकालने के बदले में दी गई क्योंकि उक्त रास्ता सन् 1975 में बन्द हो चुका है एवं इसका उपयोग उपभोग तभी से रास्ते के रूप में नहीं किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी उमाजी का खेड़ा एवं भू अभिलेख निरीक्षण उमाजी का खेड़ा दिनांक 03.02.2017 के अनुसार ग्राम भूति तहसील बिजौलिया की आ0नं0 312 कुल रकबा 7.11 बीघा किस्म गैमु0 रास्ते में से 2.00 बीघा भूमि में सम्वत् 2073 में सरसों की फसल काश्त कर श्री देबीलाल पिता भोलु गुसाई निवासी भूति का नाजायज कब्जा मानते हुए प्रकरण संख्या 29/2017 दर्ज करते हुए दिनांक 22.02.2017 को मौके से बेदखली , खड़ी फसल जप्ती एवं लगान का 50 गुणा राशि वसूली का आदेश पारित किया। अपीलार्थी उक्त रास्ते की भूमि की किस्म परिवर्तन कराना चाहता है परन्तु इसके सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किए हैं। अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा उसकी खातेदारी भूमि में सड़क निर्माण कर लिया जिसके बदले उक्त भूमि मुझ अपीलान्ट को इस शर्त पर दी गई कि विपक्षी उक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा कर नियमन/आवंटन करा लेगा। परन्तु उक्त कथन की ताईद में अपीलान्ट के द्वारा न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत किया जिसमें उसकी खातेदारी भूमि में से सड़क निर्माण की गई हो जिसके लिए उसकी खातेदारी भूमि का उपयोग किया हो न ही मौके की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे यह सिद्ध होता हो कि कितने रकबे पर व कब सड़क निर्माण की गई। अपीलान्ट के द्वारा स्वयं के खातेदारी भूमि की कोई नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि कितनी भूमि एवं किस आदेश से खातेदारी भूमि में से सड़क निर्माण हेतु उपयोग में ली गई। यदि खातेदारी भूमि में से सड़क निर्माण हेतु भूमि ली जाती है तो उसके लिए नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यादेश जारी होता है वह भी अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसकी खातेदारी भूमि में सड़क निर्माण किया गया हो। गैमु0 रास्ते की भूमि का उपयोग उपभोग सन् 1975 से नहीं हो रहा है परन्तु इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट किसी भी तरह से उक्त रास्ते की भूमि को स्वयं के नाम पर आवंटन/नियमन कराने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यह किसी भी तरह से सिद्ध नहीं करा पाया कि मौके पर आराजी नम्बर 312 रकबा 7.11 बीघा भूमि किस्म गैमु0 रास्ते का उपयोग उपभोग सन् 1975 से नहीं हो रहा है तथा उसे उक्त रास्ते की भूमि उसकी खातेदारी भूमि में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निकाली गई सड़क के बदले प्रदान की गई हो। रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से ऐसी भूमि पर किसी भी तरह से अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट अपनी अपील को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध नाजायज कब्जे की जो कार्यवाही की गई है वह उचित है इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 91 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बिजौलिया, बमामले 29/2017 आदेश दिनांक 22.02.2017 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर
भीलवाडा